न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 104/2023

वादीगण :—

1. कुशालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. ओमसिंह पुत्र स्व.गोपालसिंह
2. कृपालसिह पुत्र स्व.गोपालसिंह
3. उम्मेदसिंह पुत्र स्व.सवाईसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रावर तहसील बिलाडा
4. अंजू राठौड पत्नी स्व.नारायणसिंह
5. दुर्गासिंह राठौड पुत्र स्व.नारायणसिंह
6. मीनू बाला राठौड पुत्री स्व.नारायणसिह
7. रेखाकंवर पुत्री स्व.नारायणसिह
8. रेणु कंवर पुत्री स्व.नारायणसिह जातिसान राजपूत निवासीगण ग्राम रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हालनिवास लक्ष्मणनगर, रमजान खां का हत्था जोधपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु

उपस्थितिः—वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 4 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 3 स्वयं उपस्थित।
प्रतिवादी सं. 9 सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः—** 17/12/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 उपरोक्त पते पर निवास करते है तथा भारतीय नागरिक है। राजस्व ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 407 रकबा 0.8980 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 409 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा संख्या 410 रकबा 0.5825 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 423 रकबा 0.8009 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल आई हुई है। जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के अनुसार 903 है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि व ग्राम रावर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 152 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 154 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 158 रकबा 26 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 302 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 304 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि खातेदार सवाईसिंह पुत्र श्री लालसिंह जो वादीगण के दादा थे, की निजी व खातेदारीसुदा भूमि थी। जिसे

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

उन्होने अपने जीवनकाल में जरियें वसीयत पत्र दिनांक 14.02.2003 को 1/2 हिस्सा वादीगण को व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वसीयत कर दी तथा वादीगण के पक्ष में दिनांक 14.02.2003 को वसीयत पत्र निष्पादित किया। जिसमें सवाईसिंह के कहने से साखकर्ता नरपतसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह, जाति राजपूत निवासी नारवा, तहसील जोधपुर व हुकमसिंह पुत्र श्री तेजसिंह, जाति राजपूत निवासी अणवाना तहसील जोधपुर ने अपनी साख डाली व साख के रूप में अपने हस्ताक्षर किये तथा उक्त वसीयत पत्र को नोटेरी पब्लिक बिलाड़ा द्वारा दिनांक 14.02.2003 को अटेस्टेड किया। सवाईसिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 10.08.2009 को हो गया। ग्राम रावर में स्थित उपरोक्त खसान की भूमि सवाईसिंह जी की सहमति से राजस्व वाद संख्या 62/1994 बअनवान गोपालसिंह के कायम मुकाम् श्रीमति गुमानकंवर बनाम सवाईसिंह वगैरा में न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बिलाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2004 द्वारा खसरा संख्या 154 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा में से 7 बीघा उनके पुत्र नारायणसिंह के हिस्से में, तथा रकबा 7.15 बीघा उनके पुत्र उम्मेदसिंह के हिस्से में रकबा 7.15 बीघा उनके पुत्र गोपालसिंह के हिस्से में, खसरा संख्या 302 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा उनके पुत्र नारायणसिंह के हिस्से में, खसरा संख्या 158 रकबा 26 बीधा 03 बिस्वा में से 16 बीघा उनके पुत्र नारायणसिंह के हिस्से में, रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा उनके पुत्र गोपालसिंह के हिस्से में, खसरा संख्या 152 रकबा 9 बिस्वा उनके पुत्र गोपालसिंह के हिस्से में व खसरा संख्या 304 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा उनके पुत्र नारायणसिंह के हिस्से में रखने का आदेश पारित किया तथा वादग्रस्त कृषि भूमि को सवाईसिंह जी के पुत्र उम्मेदसिंह, नारायणसिंह व गोपालसिंह व गोपालसिंह के कायम मुकाम् श्रीमति गुमानकंवर वगैरा की सहमति से सवाईसिंह जी के हिस्से में ही रखने का उपरोक्त वाद में आदेश पारित किया। वादग्रस्त कृषि भूमि पर सवाईसिंह जी के जीवनकाल में उनका ही कब्जा काश्त था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 के आधार पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा सवाईसिंह का स्वर्गवास होने से वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के सम्बंध में कानूनन हक व अधिकार वादीगण को प्राप्त हो चुके है तथा वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के सम्बंध में वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 के आधार पर कानूनन खातेदारी अपने नाम दर्ज व घोषित करवाने के अधिकारी है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के सम्बंध में वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में सवाईसिंह जी द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को भली भांति जानकारी होते हुए भी वादग्रस्त कृषि भूमि में से वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 में वर्णित उनका 1/2 हिस्सा से ज्यादा हिस्सा की वादग्रस्त कृषि भूमि हड़प करने की नियत से, धोखाधड़ी व बेईमानी से वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 की वास्तविकता को छुपाते हुए सवाईसिंह जी का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हल्का पटवारी ग्राम बाला से मिलीभगत व सांठ गांठ कर सवाईसिंह जी के सभी वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 उम्मेदसिंह, प्रतिवादी संख्या 4 से 8, प्रतिवादी संख्या 1 से 2. गुमानकंवर पत्नी स्व. गोपालसिंह, सरोजकंवर पुत्री स्व. गोपालसिंह, आनन्दकंवर पुत्री स्व. गोपालसिंह व भंवरकंवर पुत्री सवाईसिंह, पुष्पाकंवर पुत्री सवाईसिंह

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के नाम दर्ज करवा दिया तथा हल्का पटवारी द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक से मिलीभगत कर जाँच रिपोर्ट करवाकर उक्त फौतेदगी म्यूटेशन को सरपंच ग्राम पंचायत बाला से स्वीकृत करवा दिया तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में सवाईसिंह जी के उपरोक्त सभी वारिसानों के नाम दर्ज कर दी गयी। जिसकी जानकारी वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित उनके 1/2 हिस्से की भूमि के सम्बंध में ऋण प्राप्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज चालु जमाबन्दी की ई प्रतिलिपि दिनांक 23.10.2023 को प्राप्त करने पर हुई। सवाईसिंह जी निर्वसीयत फौत नहीं हुए अपितु उन्होने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा वादीगण को व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 द्वारा वसीयत कर दिया तथा सवाईसिंह जी का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 कानूनन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम जरिये वसीयतनामा दिंनाक 14.02.2003 के आधार पर स्वीकृत होना चाहिए था। इस कारण सवाईसिंह जी का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 हिन्दू उतराधिकार कानून के प्रावधानों के विपरित जाकर सवाईसिंह जी के उपरोक्त वारिसानों के नाम दर्ज़ किया, जो कानून की दृष्टि में शून्य व अवैध है, जिसके आधार पर सवाईसिंह जी के उपरोक्त सभी वारिसानों को वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है व न ही ऐसे शून्य व अवैध म्यूटेशन के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के सम्बंध में जरिये वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 के आधार पर वादीगण को प्राप्त हक व अधिकार समाप्त होते है। फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 के आधार पर दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर श्रीमति भंवरकंवर पुत्री स्व. सवाईसिंह, श्रीमति पुष्पाकंवर पुत्री स्व. सवाईसिह, गुमानकंवर पत्नी स्व. गोपालसिंह, सरोजकंवर पुत्री स्व. गोपालसिंह, आनन्दकंवर पुत्री स्व. गोपालसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 कृपालसिंह पुत्र स्व. गोपालसिंह द्वारा अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 20.09.2023 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को हकतर्क कर दिया। जबकि उपरोक्त सभी हकतर्ककर्तागण को कानूनन शून्य व अवैध फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है। इस प्रकार उपरोक्त सभी हकतर्ककर्तागण द्वारा बिना हक व अधिकार के तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण के 1/2 हिस्से के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड हकतर्कनामा भी कानून की दृष्टि में शून्य है तथा वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित 1/2 हक हिस्से के सम्बंध में अप्रभावी है। इसलिए फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 को भी शून्य व अवैध घोषित किया जाना आवश्यक है तथा रजिस्टर्ड हकतर्कनामा को भी शून्य व वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित 1/2 हिस्से के सम्बंध में अप्रभावी घोषित जाना आवश्यक है। राजस्व न्यायालय को उक्त फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 को शून्य व अवैध घोषित करने तथा उक्त रजिस्टर्ड हकतर्कनामा को शून्य व अप्रभावी घोषित करने हेतु क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए उक्त फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 को शून्य व अवैध घोषित करने तथा रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 20.09.2023 को शून्य व वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण के निहित 1/2 हिस्से के सम्बंध में अप्रभावी घोषित किये जाने हेतु यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादीगण को वादग्रस्त कृ षि भूमि के सम्बंध में जरिये वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 के आधार पर निहित 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही होने की जानकारी दिनांक 23.10.2023 को होने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 से

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दिनांक 24.10.2023 सम्पर्क किया तुथा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने वादीगण के निवेदन को मानने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा वादीगण को इस आशय की धमकी दी कि ष्वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उनके नाम दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर देंगे तथा वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में उनके निहित 1/2 हिस्से से वंचित कर देंगे व बेदखल कर देंगे।ष इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से उपरोक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है, यदि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को उपरोक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से नही रोका गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 8 राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि को आगे बैचान, हस्तान्तरण कर देंगे तथा वादीगण को उनके निहित हिस्से से जबरन बेदखल कर देंगे, जिससे वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित 1/2 हिस्से से वंचित हो जायेगे जिससे वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ जायेगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में सवाईसिंह जी द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा की भूमि जरिये वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 को वादीगण को व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वसीयत करने से, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सवाईसिंह जी द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 की भली भांति जानकारी होते हुए भी वादग्रस्त कृषि भूमि में से वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 में वर्णित उनका 1/2 हिस्सा से ज्यादा हिस्सा की वादग्रस्त कृषि भूमि हड़प करने की नियत से, धोखाधड़ी व बेईमानी से वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 की वास्तविकता को छुपाते हुए सवाईसिंह जी का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 हल्का पटवारी से मिलीभगत व सांठ गांठ कर दर्ज व स्वीकृत कराने से, फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 के आधार पर दर्ज गलत इन्द्राज के अनुसार हकतर्ककर्तागण श्रीमति भंवरकंवर, श्रीमति पुष्पाकंवर, श्रीमति गुमानकंवर, श्रीमुति सरोजकंवर, श्रीमति आनन्दकंवर व प्रतिवादी संख्या 2 कृपालसिंह द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 20.09.2023 द्वारा हकतर्क करने पर, जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 23.10.2023 को होने पर वादीगण द्वारा दिनांक 24.10.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित 1/2 हिस्से की भूमि पुनः वादीगण के नाम दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा वादीगण के निवेदन को मानने से मना करने तथा वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर आगे से आगे बैचान, हस्तान्तरण कर वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित उनके 1/2 हिस्से की भूमि से वंचित करने व बेदखल करने की धमकिया देने से बमुकाम् ग्राम बाला, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ। जो सतत् जारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से व वाद बाबत् खातेदारी की घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए होने से प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय को सुनने का श्रवणाधिकार का है।

सहा... कलक्टर
एवं उ... अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बाला, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 407 रकबा 0.8980 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 409 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 410 रकबा 0.5825 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 423 रकबा 0.8009 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल में से सवाईसिंह जी द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 के आधार पर 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी की भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 9 को आंदेशित किया जावे। वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 की वास्तविकता को छुपाते हुए सवाईसिंह जी का हल्का पटवारी से मिलीभगत कर दर्ज व स्वीकृत करवाये गये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 को शून्य व अवैध घोषित किया जावे। वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में कर्ज शून्य व अवैध फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 के आधार पर दर्ज गलत इन्द्राज अनुसार हकतर्ककर्तागण श्रीमति भंवरकंवर, श्रीमति पुष्पाकंवर, श्रीमति गुमानकंवर, श्रीमति सरोजकंवर, श्रीमति आनन्दकंवर व प्रतिवादी संख्या 2 कृपालसिंह द्वारा अपने हिस्से के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किये गये जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 20.09.2023 को शून्य व वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण के निहित 1/2 हिस्से के सम्बंध में अप्रभावी घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत इन्द्राज को हटाये जाने का आदेश फरमावे । प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित वादीगण के 1/2 हिस्से के सम्बंध में घोषित खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे व न किसी अन्य से करावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 4 से 8 की तरफ से स्वयं या उनके प्रतिनिधि में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 4 से 8 के विरूद्ध दिनांक 06.11.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 3 स्वयं उपस्थित हुए जिसके प्रमाण के रूप में आदेशिका में प्रतिवादी सं. 3 के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी संख्या 1 कुशालसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह, वादी संख्या 2 महेन्द्रसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. व प्रतिवादी संख्या 1 ओमसिंह पुत्र स्व. श्री गोपालसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 कृपालसिंह पुत्र स्व. श्री गोपालसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. की ओर दिनांक 11.11.2024 को राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 407 रकबा 0.8980 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 409 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 410 रकबा 0.5825 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 423 रकबा 0.8009 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल के सम्बंध में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के दादा सवाईसिंह द्वारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 के आधार

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पर पेश किया। क्योकि उपरोक्त खसरान की भूमि जो कि पूर्व में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा सवाईसिंह जी के नाम दर्ज थी तथा सवाईसिंह जी दिनांक 10.08.2009 को फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वसीयतनामा की जानकारी नही होने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सवाईसिंह जी का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2792 सवाईसिंह जी के सभी वारिसान के नाम दर्ज करवा दिया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त वसीयतनामा की जानकारी नही होने का कारण यह है कि वक्त वसीयतनामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाबालिग थे तथा वसीयतनामा में भी प्रतिवादी संख्या 1 की आयु 15 वर्ष व प्रतिवादी संख्या 2 की आयु 17 वर्ष होना लिखी है,. जिससे भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वक्त वसीयतनामा नाबालिग थे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त वसीयतनाम की जानकारी प्रस्तुत राजस्व वाद से हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य समाज के मौजिज व्यक्तियों की समझाईश से राजीनामा हो चुका है तथा मुताबिक राजीनामा के अनुसार उपरोक्त खसरान की भूमि में से वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 के अनुसार 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज करवाने व घोषित करवाने हेतु सहमत है। यह राजीनामा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा बिना किसी दबाव के, स्वस्थचित हालत में, बिना किसी नशे पते के, स्वतंत्र सहमति से निष्पादित किया है जो सही है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि माफिक राजीनामा राजस्व ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 407 रकबा 0.8980 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 409 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 410 रकबा 0.5825 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 423 रकबा 0.8009 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल में से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में सवाई सिंह जी दर्ज वारिसान के स्थान पर वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 के आधार पर वादी संख्या 1 को 1/4 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/4 वॉ हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 वॉ हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 वॉ हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 9 को आदेशित किया जावे।

पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, पुनः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी सं. 2 उपस्थित दोनो ही पक्षों को राजीनामा पढकर सुनाया गया, दोनो ही पक्षों ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता मदनलाल चौधरी द्वारा दी गयी तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने आधार कार्ड की फोटू प्रति पेश की राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं कोर्ट की भावना से उक्त राजीनामें के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को पूर्व में तस्दीक किया गया। प्रतिवादी सं. 3 ने भी राजीनामा में अपनी सहमति के संबंध में स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमति बाबत अपने हस्ताक्षर किये। पत्रावली में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही। दोनो पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादीगण का दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम बाला तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 407 रकबा 0.8980 हैक्टयर,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा सं. 409 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा सं. 423 रकबा 0.8009 हैक्टयर, खसरा सं. 410 रकबा 0.5825 हैक्टयर में से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में सवाई सिंह जी दर्ज वारिसान के स्थान पर वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 के आधार पर वादी सं. 1 को 1/4 वां हिस्से का, वादी सं. 2 को 1/4 वां हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 वां हिस्से, प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 वां हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/1/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण :–
कुशाल सिंह

बनाम

प्रतिवादीगण :–
ओमसिंह वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु

राजस्व वाद संख्या :– 104 / 2023

निर्णय **दिनांक :–**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान, प्रतिवादी सं. 3 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम बाला तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 407 रकबा 0.8980 हैक्टयर, खसरा सं. 409 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा सं. 423 रकबा 0.8009 हैक्टयर, खसरा सं. 410 रकबा 0.5825 हैक्टयर में से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में सवाई सिंह जी दर्ज वारिसान के स्थान पर वसीयतनामा दिनांक 14.02.2003 के आधार पर वादी सं. 1 को 1/4 वां हिस्से का, वादी सं. 2 को 1/4 वां हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 वां हिस्से, प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 वां हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज **मुबलिग** — **बाबत्** —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।
बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा